(3)

समाहरणालय मुंगेर।

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

एकीकृत कार्य योजना के तहत निम्नांकित चहारदिवारी निर्माण का निर्णय चयन समिति द्वारा लिया गया है तथा इस हेतु कार्यापालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर सम्यक विचारोपरान्त इस चहारदिवारी के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के साथ प्रदत्त की जाती है तथा कार्यान्वयन एजेन्सी कार्यापालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को निम्नवत राशि विमुक्ति का आदेश दिया जाता है–

क0	योजना का नाम	लम्बाई	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्त की जा रही राशि
1	2	3	4	5	6
1	स्व0 मदन मोहन मध्य विद्यालय भगलपुरा, तारापुर की चहारदिवारी का निर्माण	900 फीट	1754800.00	1754800.00	900000.00

कुल विमुक्त की जा रही राशि मो0–900000.00 (नौ लाख) रू0 मात्र।

कार्यपालक अभियंता, कार्यापालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को अग्रलिखित शर्त्तो के अधीन इस योजना का कार्य कराने का आदेश दिया जाता है–

1. कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, कार्यापालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि एकीकृत कार्य योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
2. कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से प्राक्क्लन के विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चि करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
3. राशि का संधारण बिहार वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
4. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नही होगा।
5. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्क्लित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।
6. योजना का कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख मे रखा जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।
7. योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
8. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
9. कार्यकारी एजेंसी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना स्थल सरकारी जमीन हो एवं वर्णित कार्य किसी अन्य मद से नही कराया जा रहा है।

10. योजना स्थल किसी अन्य विभाग की भूमि हो तो कार्यकारी एजेंसी उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही योजना का कार्य प्रारंभ करायेगे।

11. योजना स्थल अंशतः या पूर्णताः वन क्षेत्र में पड़ता हो तो कार्यकारी एजेंसी वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।

12. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित हो लेंगे योजना स्थल विवाद रहित हो एवं कार्य आरंभ की सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर को अवश्य देंगे ताकि किसी अन्य योजना से यही कार्य न हो।

ह० –

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक ..../ दिनांक...........................

प्रतिलिपि– कार्यापालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृपया जिला योजना कार्यालय से स्वीकृत राशि का चेक प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

ह० –

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक ..../ दिनांक...........................

प्रतिलिपि– नाजीर, जिला योजना कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यापालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को स्वीकृत राशि का चेक हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।

ह० –

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 288 / दिनांक 12/7/13

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।